न्यायालय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा,
(म0प्र0)

1– अंजनी प्रसाद
2– इन्द्रकुमार
3– रजनीश प्रसाद
} तीनो के पिता ईश्वरी प्रसाद शर्मा

4– ईश्वरी प्रसाद शर्मा तनय रामस्वरूप ब्रा0
सभी निवासी ग्राम–सोनवारी, तहसील–मैहर, जिला–सतना म0प्र0

———आवेदकगण/निगरानीकर्ता

बनाम्

1– गोविन्द प्रसाद तनय रामगोपाल ब्रा0 निवासी ग्राम–सोनवारी, तहसील–मैहर, जिला–सतना म0प्र0
2– विनय कुमार त्रिपाठी तनय प्रेमनारायण त्रिपाठी निवासी टिकरिया हाउस देवी जी रोड शक्ति धर्मशाला के पास मैहर, जिला–सतना (म0प्र0)
3– स्टेट आफ म0प्र0

——— अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्तागण

सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार साहब मैहर, की शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्व निरीक्षक मैहर द्वारा किये गये सीमांकन पुष्टि आदेश प्रकरण कमांक–78 /अ–12/11–12 में पारित दिनांक 05–09–12

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

महोदय,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब की शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन पुष्टि आदेश में म0प्र0भू0 राजस्व संहिता

(243)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 163– II / 2014 जिला–सतना

अंजनी प्रसाद शर्मा / गोविन्द प्रसाद ब्रा0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामनरेश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील मैहर के प्रकरण क्रमांक 78 / अ–12 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 05.09.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मैहर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	